

## प्रेस नोट दिनांक- 11.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा जाति विशेष के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आपत्ति जनक एवं भडकाऊ टिप्पणी कर सामाजिक सौहार्द को क्षति पहुंचाने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बजेश कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में सोशल मीडिया सेल इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 09.06.2021 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त आपत्तिजनक एवं भडकाऊ ऑडियो के संबंध में कार्यवाही कराते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कराया गया

### **घटना का संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 09.06.2021 को जनपदीय सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सतत निगरानी रखी जा रही थी इसी क्रम में ट्विटर के माध्यम से जाति वर्ग विशेष के विरुद्ध अभद्र भाषा को प्रयोग कर आपत्तिजनक एवं भडकाऊ टिप्पणी करने वाला एक ऑडियो प्राप्त हुआ जिसमें प्रयुक्त अभद्र भाषा एवं टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द को बिगडने की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही थी ।

सोशल मीडिया सेल द्वारा तत्काल ऑडियो के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को अवगत कराया गया । जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा तत्काल कार्यवाही कराते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना को ऑडियो के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये । वायरल ऑडियो के संबंध में थाना भरथना पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए थाना भरथना पर मुकदमा अपराध संख्या 178/21 धारा 504 506 295A भादवि व 66 आईटी एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 10-06-2021 को पंजीकृत अभियोग के संबंध में क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया गठित टीम द्वारा उक्त वायरल ऑडियो से संबंध में इलैक्ट्रॉनिक/ सर्विलास एवं मैनुअल माध्यमों से साक्ष्य संकलित किये गये । थाना भरथना पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 11.06.2021 को थाना जसवंतनगर क्षेत्रान्तर्गत नगला खुशहाली से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा वायरल आडियो के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा ऑडियो में की जा रही आपत्तिजनक एवं भडकाऊ भाषा के इस्तेमाल की बात स्वीकार की गई

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. दीपू सिंह पुत्र जनक सिंह निवासी नगला खुशहाली थाना जसवंतनगर इटावा
2. अर्जुन कुमार पुत्र मुकेश कुमार निवासी नगला खुशहाली थाना जसवंतनगर इटावा

पुलिस टीम- सोशल मीडिया टीम- उ०नि० श्री राजीव यादव प्रभारी सोशल मीडिया सेल, का० अमित शर्मा, का० योगेश चौधरी, का० विवेक यादव, का० अर्जुन ।

सर्विलांस टीम- उ०नि० श्री बेचन सिंह प्रभारी सर्विलांस , का० सुबोध यादव

पुलिस टीम थाना भरथना - श्री बचन सिंह सिरोही प्रभारी निरीक्षक थाना भरथना, उ०नि० नागेन्द्र सिंह, हे०का० रामस्नेही शुक्ला, का० अनुज कुमार, का० नीशू मलिक ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा